ग्राम पंचायत नारग, विकास खण्ड पच्छाद ज़िला सिरमौर के
के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.04.2014से 31.03.2017
भाग-1

1. प्रस्तावना (क):-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत, **ग्राम पंचायत नारग, विकास खण्ड पच्छाद, ज़िला सिरमौर** के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे

प्रधान:-

क्रमांक	प्रधान का नाम नाम	कार्यकाल
1	श्री निर्मल कान्त सूद	23/01/11 से 30.09.2014
2	श्री राजीव शर्मा {Officiating}	07/09/15 से 06/11/15
3.	श्रीमती हितेषिका	07/11/15 से 22/01/16

सचिव:-

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1	श्रीमती प्रोमिला देवी	01/04/14 से 31/07/2014
2.	श्री मोहन लाल	01/08/14 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत, नारग के लेखों का अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

पैरा नं	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना	0.003
6(i)	गृहकर की की शेष वसूली	0.40
6(ii)	मोबाइल टावर फीस की शेष वसूली	0.22
6(iii)	दुकानों के किराये की शेष वसूली	0.28
7	अनुदान की राशी का उपयोग न करना	27.19
8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय	5.57
9	क्रय की गई सामग्री की स्टोर/स्टॉक प्रविष्टि न करना	-
10	जे.सी.बी चार्जिस का अनियमित भुगतान	0.70
11**(i)**	निर्माण कार्यो को तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना राशि का आहरण/भुगतान	59.97

11(ii)	प्राप्त अनुदान से अधिक का व्यय	2.93
11(iii)	कार्य के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	0.18
12(i)	मनरेगा योजना की रोकड़ बही संधारित न करना	21.12
12(ii)	एक ही भुगतान को ऑनलाइन तथा चेक **द्वारा** दर्शाकर अधिक आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	0.43
12(iii)	प्राप्तकर्ता रसीद अभिलेख में न पाया जाना, आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	0.46
12(iv)	मनरेगा में निर्माण सामग्री के क्रय पर कार्य पर कुल खर्च से 40% से अधिक राशि खर्च कर अधिक भुगतान	0.15
12(v)	निर्माण कार्यो को तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना किया गया अनियमित भुगतान (मनरेगा)	11.20
13	मस्टर रोल्स को तकनीकी प्राधिकारी से सत्यापित व मूल्यांकित करवाए बिना किया गया अनियमित भुगतान	1.13
14	बिना बिल/वाउचर के दर्शाया गया व्यय, आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	1.08

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत नारग, विकास खण्ड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी **द्वारा** दिनांक **16.08.17 से 19.08.17 तथा 28.08.17 से 29.08.2017** को ग्राम पंचायत नारग के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है;

वर्ष	**माह**	
	आय	**व्यय**
2014-15	11/2014	01/2015
2015-16	03/2016	10/2015
2016-17	03/2017	02/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत नारग, विकास खण्ड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹**6000** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को

रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009** को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जी.पी.(आडिट)/पच्छाद/2017-18-06 दिनांक 29/08/2017 **द्वारा** सचिव, ग्राम पंचायत नारग से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत, नारग **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

i) स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत नारग के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	-------	74537.00	74537.00	36137.00	38400.00
2015-16	38400.00	157276.00	195676.00	68382.18	127293.82
2016-17	127293.82	138149.20	265443.02	77585.00	187858.02

(परिशिष्ट–1)

नोट:- ग्राम पंचायत, नारग की स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि खाते में ही जमा करवाया गया है तथा स्व: स्त्रोत का खाता अलग से न होने के कारण स्व: स्त्रोत का 01/04/2014 को प्रारंभिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका | जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्व: स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर **खाता "क"** में रखे जाने का प्रावधान है | अतः स्व: स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये|

ii) अनुदान:- ग्राम पंचायत नारग के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न {**परिशिष्ट- 2 व 2A**} मे दिया गया है ।

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	1243506.18	3005286.00	4248792.18	1389705.00	2859087.18
2015-16	2859087.18	2665863.00	5524950.18	3458277.00	2066673.18
2016-17	2066673.18	3425119.00	5491792.18	2772482.25	2719309.95

(परिशिष्ट–2)

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

(i) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था । जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था । अतः पंचायत **द्वारा** रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही (वितीय स्थिति) तथा बैंक के शेषों में

दिनांक 31/03/2017 को निम्नविवरणानुसार ₹**323.40** का अन्तर है जिसकी जाँच की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	स्व: स्त्रोत	187858.00	1
2.	अनुदान	2719309.95	2
3.	समेकित वितीय स्थिति के अनुसार शेष	2907167.95	3
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	3792097.30	4
5.	**कुल अन्तर**	**884929.35**	
6.	31.03.17 को **BRS** के अनुसार अन्तर {815285.95-124467=**690818.95**	(-)690818.95	**5**
7.	**{5-6}**	194110.40	
8.	अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 के दौरान प्राप्त आय तथा व्यय को रोकड़ बही में दर्ज न करने के कारण 348624- व्यय 154837=**193787**}	(-)193787.00	**6**
	31.03.2017 को खातों में शेष अन्तर	**323.40**	

विभिन्न बचत बैंक खातों में 31.03.2017 को जमा राशि का ब्यौरा

नं	अनुदान	बचत खाता संख्या	अन्तिम शेष
1.(i)	**सामान्य (4th State)**	56010105010	1558811.25
(ii)	**निधि/स्वः स्त्रोत**	56010108231	95239.00
(iii)	**14th FC**	56010108181	1560013.00
(iv)	**VKVNY**	56010108219	91818.00
(v)	**SBM/TSC**	56010108260	40777.00
(vi)	**Account Upyojna**	56010108182	102364.00
2	**बी.आर.जी.ऍफ़.**	56010105387	152731.05
3	**आई.ए.वाई.**	11790101102149	---------
4	**PMAGY**	56010107439	89756.00
5	**13th FC**	56610106347	100588.00
6	**मनरेगा**	56610105125	---------
	31.03.2017 को कुल शेष राशि		**37,92,097.30**

(परिशिष्ट–4)

(ii) सामान्य निधि खाते की अवधि 01.04.2014 से 31.07.2017 के दौरान प्राप्त राशि तथा व्यय भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त अवधि में सामान्य निधि खाते में प्राप्त राशि और किये गए व्यय भुगतान को रोकड बही में दर्ज नहीं किया गया है, जोकि एक गम्भीर

अनियमितता है जबकि उक्त अवधि में सामान्य निधि के बचत बैंक खाता संख्या **56010105010** के अनुसार उक्त खाते में ₹**3,48,624** जमा तथा ₹**1,54,837 {परिशिष्ट- 6}** की निकासी हुई है| **इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में यदि कोई आय नकद में प्राप्त हुई होगी उसके बारे कोई जानकारी व् अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया**| उपरोक्त आय तथा व्यय रोकड़ बही में दर्ज न होने कारण इसे वितीय स्थिति में शामिल नहीं किया जा सका और न ही उक्त आय तथा व्यय भुगतान की अंकेक्षण सम्बन्धी जाँच की जा सकी| अतः उक्त अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे तैयार कर सम्बन्धित अभिलेख के साथ आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

6 स्वः स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय की निरन्तर वसूली न करना :-

(i). गृहकर की ₹0.40 लाख की शेष वसूली:-

सचिव ग्राम पंचायत नारग **द्वारा** अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जी.पी.ऑडिट/पच्छाद/नारग/2017-18-1 दिनांक 16/08/2017 के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक:GP-NARAG-176/2017 दिनांक 27/08/2017 के क्रमांक: 2 **द्वारा** गृहकर की शेष वसूली के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2017 को गृहकर की ₹**39,590** वसूली योग्य शेष बताई गई है, अतः उक्त राशी की शीघ्र वसूली कर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए| अंकेक्षण अवधि के दौरान गृहकर की वसूली गई तथा वसूली हेतु शेष राशि का ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर	कुल कर	प्राप्त राशि	शेष राशि
2013-14	603	30/-	18090/-	------	18090/-
2014-15	635	30/-	19050/-	------	37140/-
2015-16	660	30/-	19800/-	51450/-	5490/-
2016-17	682	50/-	34100/-	------	39590/-
गृहकर की वसूली योग्य राशि			**91040/-**	**51450/-**	**39590/-**

(परिशिष्ट–7)

(ii) मोबाइल टावर फीस की ₹0.22 लाख की शेष वसूली :- (परिशिष्ट–7)

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त पत्र संख्या G.P. NARAG-176/2017 दिनांक 27.8.17 के क्रमांक: 3 पर दर्शायी गई सुचना के अनुसार दिनांक 31/03/2017 को **पंचायत के अधिकार क्षेत्र में स्थापित BSNL कम्पनी** से मोबाइल टावर का नियमानुसार स्थापना व् नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹**21,500** की राशि वसूली योग्य शेष बनती है| अतः उक्त राशी को सम्बन्धित संस्था से वसूली कर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण दौरान अवगत करवाया जाए |

(iii). दुकानों के किराये से प्राप्त होने वाली आय की ₹0.28 लाख की शेष वसूली:- (परिशिष्ट–7)

पत्र संख्या G.P. NARAG-176/2017 दिनांक 27.8.17 के क्रमांक: 4 पर दर्शायी गई सुचना के अनुसार दिनांक 31/03/2017 को पंचायत परिसर में (माहवर) किराये पर दी गई दुकानों का सम्बन्धित दुकानदारो से **₹28,200** किराये की राशि वसूली योग्य शेष बताई गई है| अतः उक्त राशी सम्बन्धित दुकानदारों से को अति शीघ्र वसूली कर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण दौरान अवगत करवाया जाए|

(iv) दुकान संख्या: 3 के खाली पड़े रहने से पंचायत निधि को प्राप्त होने वाली आय की ₹0.15 लाख की हानि:- (परिशिष्ट–7)

पत्र संख्या G.P. NARAG-176/2017 दिनांक 27.8.17 के क्रम संख्या: 1(7) के अनुसार पंचायत की दुकान संख्या 3 दिनांक 01.04.2016 से मुरम्मत न होने के कारण खाली पड़ी है जबकि उक्त दुकान 31.3.2016 से पहले पंचायत निधि को **₹1200.** प्रतिमाह की निरन्तर आय प्रदान कर रही थी| इस प्रकार उक्त दुकान के खाली पड़े रहने के कारण पंचायत निधि को प्राप्त होने वाली आय का **31.03.2017** तक लगभग **₹15,000**. की हानि हुई है, जोकि निरन्तर होती ही जा रही है | अतः उक्त दुकान की मुरम्मत न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, तथा उक्त दुकान की तुरन्त मुरम्मत करवाकर इसे अति शीघ्र किराये पर देने बारे प्रयास किये जाएँ ताकि पंचायत आय की जो हानि हो रही है उसे रोका जा सके|

क्योंकि सचिव, ग्राम पंचायत नारग **द्वारा** आय की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एंव वसूली पंजी"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में उपरोक्त प्राप्त होने वाली आय के सम्बन्ध में वास्तविक वसूली योग्य राशि उक्त राशि से कहीं अधिक होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता | अतः उपरोक्त आय की राशि की शीघ्र अतिशीघ्र वसूली की जाए, साथ ही, पंचायत सचिव इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके सम्बन्धित से उसकी वसूली करते हुए पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित करे तथा तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये | इसके अतिरिक्त भविष्य में **"मांग एंव वसूली पंजी"** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का तुरन्त बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो|

7 अनुदान ₹27.19 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध कारवाई गई सूचना **{परिशिष्ट- 2}** के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक अनुदानों से प्राप्त **₹27,19,309** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत **द्वारा** अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये|

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.57 लाख स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रयः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) **द्वारा** स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधित है जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक के व ₹50,000 से कम राशि के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाना तथा ₹50,000 से अधिक राशि के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके| जबकि नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत **द्वारा** प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत **द्वारा** नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति **द्वारा** निविदा/कोटेशन्स आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है| परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किये था और नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही **चयनित माह 10/2015 में PMAGY योजना के अंतर्गत ₹5,56,559 की** स्टोर/स्टॉक की सामग्री का क्रय किया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तीजनक है। अतः उक्त व्यय/क्रय को नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय नियमानुसार तरीके से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त नियमों कि अवहेलना कर पंचायत **द्वारा** किये गये क्रय की कुछ मदों का ब्यौरा **{परिशिष्ट- 8}** संलग्न में दिया गया है|

9 क्रय की गई स्टोर/स्टॉक की सामग्री की प्रविष्टि न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत **द्वारा** प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है| ग्राम पंचायत नारग के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा** विभिन्न कार्यों हेतु क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जा रही है जोकि नियमनुसार अपेक्षित थी| अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई कुछ मदें जिन्हें स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था का ब्यौरा संलग्न **(परिशिष्ट-** 8) में दिया गया है|

अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए|

10 जे.सी.बी चार्जिस का ₹0.70 लाख का अनियमित भुगतानः-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया किग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकास कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर **₹70,000** का भुगतान बिना निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया है, जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 (5)(a)व(b) के अनुसार ₹1000 से अधिक की राशि के भुगतान/क्रय के लिये कोटेशन्स/निविदाएँ

आमंत्रित की जानी अनिवार्य है | जबकि नियम 67(3) के अनुसार उक्त कार्यो हेतु कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित करने के लिए एक उप समिति का गठन किया जाना अनिवार्य था, जिनकी अनुपालना किये बिना ही पंचायत **द्वारा** जे.सी.बी को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए| **इसके अतिरिक्त जे.सी.बी द्वारा करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक द्वारा** अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्तिथि में जे.सी.बी चार्जिस का लाखों रूपये का भुगतान तर्कसंगत व् उचित था नहीं कहा जा सकता| अतः सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा जे.सी.बी **द्वारा** करवाए गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी चार्जिस का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतियां नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदारों से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतियां की जानी वांच्छित थी |

(क) आयकर 2%
(ख) सेल्स टैक्स 3%
(ग) प्रतिभूति राशि 10%
(घ) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतियां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

जे.सी.बी चार्जिस के ₹70,000 के अनियमित भुगतान का विवरण

क्रमांक	फर्म/ठेकेदार का नाम	बिल संख्या/ दिनांक	कार्य के घंटे	दर प्रति घंटा ₹	कुल भुगतान ₹
		मुरम्मत सम्पर्क मार्ग मुख्य सडक से चाकला			
		अनुदान : PMAGY			
1.	विक्रम ठाकुर ग्राम खन्गोग, नारग	165/ 25.04.2016	100	700/-	70000/-
				कुल अदायगी	**70000/-**

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

(i) निर्माण कार्यो को सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना किया गया ₹59.97 लाख का अनियमित आहरण/भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों को **सक्षम तकनीकी प्राधिकारी** से मूल्यांकित करवाए बिना ही **₹59,96,704** का आहरण/भुगतान किया गया है, जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित तथा संदिग्ध प्रतीत होता है| सचिव ग्राम पंचायत **द्वारा** पत्र **क्रमांक: GP-NARAG/177/2017 दिनांक 28/08/2017 {परिशिष्ट- 9}** पृष्ठ संख्या

39 के माध्यम से विकास कार्यों के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान पूर्ण हुए/प्रगति पर चल रहे अधिकतर कार्यो पर जो व्यय भुगतान दर्शाया गया है उनका तकनीकी प्राधिकारी **द्वारा** मूल्यांकन नहीं किया गया है जोकि उक्त विकास कार्यों की संलग्न सूचि के अनुसार स्वतः ही स्पष्ट है| क्योंकि उन कार्यों पर दर्शाए गए व्यय से सम्बन्धित **प्राक्कलन अभिलेख, माप पुस्तिकाएं, मूल्यांकन शीट्स तथा उक्त कार्यो के पूर्ण होने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख** अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनके आभाव में उक्त कार्यों पर दर्शाया गया व्यय/भुगतान सही था भी या नहीं इस बात की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी| अतः यह स्पष्ट किया जाए की कौन से कार्य कितनी अवधि से तथा किन कारणों से अधूरे या बन्द पड़े है, तथा उन पर दर्शाया गया व्यय भुगतान सही है या नहीं, तथा जो कार्य पूर्ण या प्रगति पर है उनका मूल्यांकन क्यों नहीं करवाया गया है | अतः उपरोक्त बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त कार्यों को सम्बन्धित तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाना सुनिश्चित किया जाए| मूल्यांकन उपरान्त यदि व्यय भुगतान मूल्यांकन से अधिक पाया जाता है तो उसकी उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित कोष में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

(ii) प्राप्त अनुदान से ₹2.93 लाख का अधिक व्यय :-

सचिव ग्राम पंचायत नारग **द्वारा** अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जी.पी.ऑडिट/पच्छाद/नारग/2017-18-2 दिनांक 18.08.2017 के सन्दर्भ में उनके पत्र **क्रमांक: GP-NARAG/177/2017** दिनांक 28/08/2017 **{परिशिष्ट-9} द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान पूर्ण/प्रगति पर चल रहे विकास कार्यों के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक निम्नतालिकानुसार प्राप्त अनुदान की राशी से ₹**2,92,701** का अधिक व्यय दर्शाया गया है| यद्यपि खर्च की गई राशी उक्त कार्यों हेतु स्वीकृत राशी से अधिक नहीं है परन्तु उक्त कार्यों हेतु स्वीकृत पूरी/बकाया राशी 31.03.2017 तक (Funding Agency) से प्राप्त नहीं हुई थी| अतः या तो अनुदान की बकाया राशी को सम्बन्धित (Funding Agency) से प्राप्त किया जाए, अन्यथा प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय की गई राशी को उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित खाते में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए|

प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय की गई राशी का ब्यौरा

क्रमांक	**अनुदान**	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत राशी**	**प्राप्त अनुदान**	**31.03.17 तक खर्च राशी**	**प्राप्त राशी से अधिक व्यय**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G(F-E)**
1	PMAGY	नि. पक्की गली कथान	100000	70000	79057	9057

2	---do---	नि. पक्का रास्ता काहन	300000	250000	259464	9464
3	---do---	नि. पक्की गली पाजे ढाल	200000	150000	198192	48192
4	---do---	स्ट्रीट लाइट मोहर	250000	200000	218000	18000
5	---do---	स्ट्रीट लाइट भड़ूत	500000	400000	436000	36000
6	---do---	फर्नीचर/बाउंड्री वाल/टाट पट्टी GPS चकला	400000	200000	308000	108000
7	---do---	स्ट्रीट लाइट आन्जी	250000	200000	218000	18000
8	---do---	स्ट्रीट लाइट काहन	250000	200000	218000	18000
9	MLA	नि. सामुदायिक भवन SC बस्ती, चाकला	200000	150000	177988	27988
		कुल=	**2450000**	**1820000**	**2112701**	**292701**

(iii). तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय कर ₹18458 का अधिक आहरण/भुगतान कर राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

अंकेक्षण के दौरान निम्नतालिका में दर्शाए गए निर्माण कार्यों में उपयोग में लायी गई निर्माण सामग्री का तकनीकी प्राधिकारी **द्वारा** माप पुस्तिकाओं में किये गए मूल्यांकन के साथ मिलान करने पर पाया गया कि तकनीकी प्राधिकारी के प्राक्कलन/मूल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री की मात्रा की खरीद कर **₹18458** का अधिक आहरण किया गया है जोकि अनियमित है अतः उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली कर तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की विभागीय स्तर पर जाँच कर उनमे पाए जाने वाले अधिक व्यय/आहरण की वसूली कर भविष्य के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किये जाएँ ताकि इस प्रकार से हो रहे सरकारी धनराशी के दुर्विनियोजन की सम्भावना/पुनरावृति को टाला जा सके| उपरोक्त बारे अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

निर्माण सामग्री का नाम	सामग्री की क्रय की गई मात्रा	सामग्री की मूल्यांकित मात्रा	अधिक क्रय की गई मात्रा	क्रय दर	राशि का अधिक आहरण/व्यय
PMAGY:- निर्माण पक्की गली मोहर			**MB No: 7120 पृष्ठ-82-86**		
बजरी	400 फुट	350 फुट	50 फुट	45/-	2250/-
13th FC:- निर्माण पक्की टंकी काका राम के घर के पास			**MB No: 7120 पृष्ठ-95-96**		
रेत	70 फुट	54 फुट	16 फुट	45/-	720
BRGF:- निर्माण सिंचाई टैंक मायली			**MB No: 7120 पृष्ठ-73-76**		
गटका	300 फुट	210 फुट	90 फुट	14/-	1260/-
TSC/SBM:- मुरम्मत शोचालय GPS, नोहरा			**MB No: 7120 पृष्ठ-87-89**		
सीमेंट	7 बैग्स	6 बैग्स	1 बैग	258/-	258/-
बजरी	40 फुट	32 फुट	8 फुट	45/-	360/-
TSC/SBM:- निर्माण शोचालय GPS, अजगा			**MB No: 7522 पृष्ठ-17-21**		
रेत	170 फुट	128 फुट	24 फुट	40/-	960
बजरी	80 फुट	75 फुट	5 फुट	50/-	250/-

TSC/SBM:- निर्माण शोचालय GPS, मोहर			**MB No: 7522 पृष्ठ-17-21**		
रेत	170 फुट	145 फुट	25 फुट	40/-	1000/-
CRF:- निर्माण स्टेज/डगा GSSS, नारग			**MB No: 7120 पृष्ठ-58-61**		
रेत	470 फुट	185 फुट	285 फुट	40/-	11400/-
			राशि का कुल अधिक आहरण /भुगतान		**₹18458**

(iv). निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित **प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र** इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनकी अनुपस्थिति में निर्माण कार्यों पर खर्च किये गये लाखों रूपये के व्यय का माप पुस्तिकाओं तथा सम्बन्धित अभिलेख के अनुसार पुर्णतः जाँच नहीं की जा सकी| जिससे विकास कार्यो पर दर्शाया गया व्यय प्राक्कलन व् अधिकारिक अनुमोदन के अनुसार सही था भी या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी और न ही कार्यों के पूर्ण होने की स्थिति ज्ञात हो सकी| अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उन्हें पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत **द्वारा** निष्पादित करवाए जा रहे लाखों रूपये के निर्माण कार्यों की पूर्ण जाँच सम्भव/सुनिश्चित हो सके|

12 मनरेगा योजना के अंतर्गत खर्च राशी से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

(i) अंकेक्षण अवधि में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि व् व्यय को रोकड़ बही में दर्ज न करना की रोकड़ बही संधारित न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव **द्वारा** वितीय वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान व् खर्च की गयी राशी को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है, जबकि उक्त अवधि में सचिव ग्राम पंचायत **द्वारा** प्रदान की गई **Online Financial Statements** (प्रति संलग्न) के अनुसार विभिन्न विकास कार्यो पर उक्त अवधि के दौरान **₹21,11,903** का **Online** व्यय भुगतान किया गया है| उक्त प्राप्ति व् भुगतान का रोकड़ बही में दर्ज न होने के कारण न तो उन्हें वितीय स्थिति में शामिल किया जा सका और न ही सम्बन्धित अभिलेख के साथ उसकी अंकेक्षण से सम्बन्धित जाँच की जा सकी| इसके अतिरिक्त उक्त योजना के अंतर्गत अंकेक्षण अवधि के दौरान स्वीकृत/निष्पादित किये गए विभिन्न विकास कार्यों (सार्वजनिक व् निजी) की विकास कार्य सूचि, में दिए गए कार्यों के **तकनीकी प्राक्कलन, कार्य के पूर्ण होने व अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए, तथा पूर्ण हो गए अधिकतर कार्यो का मूल्यांकन नहीं किया गया है {विकास कार्य सूचि क्रम संख्या 1 से 14} तथा प्रगति पर चल रहे कार्यो से सम्बन्धित माप पुस्तिकाए अधूरी पाई गई, तथा कार्यों का चालू मूल्यांकन (Running Assessment) किये बुना ही व्यय भुगतान किया जा रह है,** जोकि अनियमित है| अतः अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बही को संधारित न करने तथा कार्यों का मुल्यांकन करवाए बिना किये गए भुगतान **{पैरा-12 (iv)}** बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए| मनरेगा जोजना में अंकेक्षण अवधि के दौरान किये गए Online व्यय भुगतान का ब्यौरा निम्नानुसार है: **(परिशिष्ट–10) अनुसार**

वितीय वर्ष	मजदूरी का भुगतान	सामग्री पर व्यय	कुल भुगतान
2014-15	**253484/-**	**42525/-**	**296009/-**
2015-16	**258714/-**	**156000/-**	**414714/-**
2016-17	**1097180/-**	**304000/-**	**1401180/-**
कुल योग	**1609378/-**	**502525/-**	**2111903/-**

(ii) निर्माण कार्य पर व्यय की गई राशि को ऑनलाइन तथा दोबारा चेक द्वारा भुगतान दर्शाकर ₹0.43 लाख का अधिक भुगतान/आहरण कर आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:- (परिशिष्ट–10) (पृष्ठ संख्या 46)

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निर्माण कार्य निम्नतालिकानुसार विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के क्रय की अदायगी दिनांक 18.08.2014 को निम्नानुसार ऑनलाइन तथा दिनांक **31.08.2014** को चेक **संख्या 81842 द्वारा ₹42,815** का नकद में आहरण करके दो बार **(DOUBLE)** दर्शाया गया है जोकि आहरित राशि का दुर्विनियोजन प्रतीत होता है, जिस बारे जाँच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए, अन्यथा अधिक भुगतान/आहरित की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया **जाए|ऑनलाइन किये गए** भुगतान का ब्यौरा निम्नानुसार है;

बिल संख्या	निर्माण कार्य का नाम	राशि
0487692	**Irri. Tank Naresh Kumar, Shaila Pani**	**6750/-**
0487693	**-------do-----**	**4500/-**
048769	**Irri. Tank krishan Dutt, Ajga**	**4275/-**
0487690	**Irri. Tank Rajesh Kumar, Narag**	**9000/-**
0487694	**Irri. Tank Prithvi singh, Thaleri ki bed**	**9000/-**
0487691	**Irri. Tank Anikhi Ram Mohar**	**9000/-**
	राशि का कुल drshaया गया कुल भुगतान	**42525/-**

(iii) ₹0.46 लाख की प्राप्तकर्ता रसीद अभिलेख में न पाया जाना, आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

मनरेगा के बचत खाते से माह 03/2015 में श्री राजीव शर्मा **द्वारा** चेक संख्या 81845 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी पच्छाद को उनुपयोग की गई राशि को वापिस करने हेतु **₹45,763.** का आहरण किया गया है, परन्तु उक्त राशि की सम्बन्धित से प्राप्तकर्ता रसीद अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिसकी अनुपस्थिति में उक्त आहरण संदिग्ध प्रतीत होता है| अतः या तो उक्त राशि की सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्ति रसीद प्राप्त कर अंकेक्षण को दर्शायी जाए अन्यथा उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित खाते में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए|

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 18.11.2014 को चेक संख्या 81843 **द्वारा ₹3000.** का आहरण भी दर्शाया गया है जिससे सम्बन्धित अभिलेख भी आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत किये जाए|

(iv) निर्माण सामग्री के क्रय पर कार्य पर खर्च कुल राशि के 40% से अधिक राशि खर्च कर ₹0.15 लाख का अधिक भुगतान:-

निर्माण टैंक रमेश कुमार शैला पानी {**विकास कार्य सूची मनरेगा क्रम संख्या:-7, कार्य पूर्ण}** के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजना के दिशा निर्देशों के विपरीत राशि खर्च कर निर्माण सामग्री की खरीद पर कार्य पर खर्च कुल राशि के निर्धारित 40% की सीमा से अधिक राशि खर्च कर निम्नतालिकानुसार **₹15333** का अधिक भुगतान किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा नियमों के विपरीत निर्धारित मापदण्डों से अधिक व्यय/भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए, तथा भविष्य में राशि खर्च/भुगतान करते समय अधिकारिक निर्देशों व् सम्बन्धित नियमों का उलंघन न हो यह सुनिश्चित किया जाए| **(परिशिष्ट–9) (पृष्ठ संख्या 40 क्रमांक 7)**

	निर्माण टैंक रमेश कुमार शैला पानी:- कार्य पूर्ण				
स्वीकृत राशि	**कुल खर्चा**	**मजदूरी पर कुल खर्च/ भुगतान**	**निर्माण सामग्री के क्रय पर कुल खर्च/भुगतान**	**मनरेगा के अन्तर्गत सामग्री कटक हेतु 40% देय राशि**	**सामग्री के क्रय पर खर्च राशिके 40% से अधिक का भुगतान**
50,000/-	26654/-	7000/-	20000/-	4667	15333

(v) निर्माण कार्यो को सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना किया गया ₹11.20 लाख का अनियमित आहरण/भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों को **सक्षम तकनीकी प्राधिकारी** से मूल्यांकित करवाए बिना ही **₹.11,20,264** का आहरण/भुगतान किया गया है, जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित तथा संदिग्ध प्रतीत होता है| सचिव ग्राम पंचायत **द्वारा** पत्र **क्रमांक: GP-NARAG/177/2017 दिनांक 28/08/2017 {परिशिष्ट- 9} पृष्ठ संख्या 43 कालम 4 पर** के माध्यम से उक्त योजना के अंतर्गत किये गए विकास कार्यों के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान पूर्ण हुए/प्रगति पर चल रहे अधिकतर कार्यो पर जो व्यय भुगतान दर्शाया गया है उनका तकनीकी प्राधिकारी **द्वारा** मूल्यांकन नहीं किया गया है जोकि उक्त विकास कार्यों की **संलग्न सूचि के अनुसार स्वतः ही स्पष्ट है|** क्योंकि उन कार्यों पर दर्शाए गए व्यय से सम्बन्धित **प्राक्कलन अभिलेख, माप पुस्तिकाएं, मूल्यांकन शीट्स तथा उक्त कार्यो के पूर्ण होने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख** अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनके आभाव में उक्त कार्यों पर दर्शाया गया व्यय/भुगतान सही था भी या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी| अतः यह स्पष्ट किया जाए की कौन से कार्य कितनी अवधि से तथा किन कारणों से अधूरे या बन्द पड़े है, तथा उन पर दर्शाया गया व्यय भुगतान सही है या नहीं, तथा जो कार्य पूर्ण या प्रगति पर है उनका मूल्यांकन क्यों नहीं करवाया गया है| जबकि नियमानुसार प्रत्येक मस्टरोल के भुगतान से पूर्व मूल्याँकन किया जाना चाहिए था अतः उपरोक्त बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की

जाए तथा उक्त कार्यों को सम्बन्धित तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाना सुनिश्चित किया जाए| मूल्यांकन उपरान्त यदि व्यय भुगतान मूल्यांकन से अधिक पाया जाता है तो उसकी उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित कोष में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

(vi) विकास कार्यों की सूची में दर्शाए गए आँकडो में भारी अन्तर:-

सचिव ग्राम पंचायत, नारग **द्वारा** पत्र **क्रमांक:GP-NARAG/177/2017 दिनांक 28/08/2017 {परिशिष्ट-9} पृष्ठ संख्या 43 कालम 8 पर कुल राशि (अन्तर) द्वारा** मनरेगा के विकास कार्यों के बारे में जो सूचना प्रदान की है उसके कॉलम नम्बर 4 में विकास कार्य पर जो कुल व्यय दर्शाया गया है वह कॉलम नम्बर 2 {मजदूरी भुगतान पर व्यय} तथा कॉलम नम्बर 3 {निर्माण सामग्री के क्रय पर व्यय} के साथ मेल नहीं खाती है | जिसके अनुसार कुछ कार्यों में कुल व्यय कॉलम नम्बर 2 व् 3 पर दर्शाए गए व्यय की राशि से ₹1,14,559 अधिक है, इसके विपरीत कुछ कार्यों पर यह राशि कॉलम नम्बर 2 व् 3 पर दर्शाए गए व्यय ₹2,92,217. कम है| जिससे यह प्रतीत होता है कि अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाई गई सुचना गलत/अविश्वसनीय है| अतः उपरोक्त सुचना में जो अन्तर है उसके बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए, तथा अंकेक्षण अवधि की कार्यो की सही सुचना आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत की जाए|

13 सक्षम प्राधिकारी व तकनीकी प्राधिकारी से सत्यापित व मूल्यांकित करवाए बिना ₹1.13 लाख के मस्टर रोल्स की राशि का भुगतान:-

चयनित माह में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों पर मस्टर रोल्स पर करवाए कार्य को सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना ही **₹113338 का व्यय** भुगतान किया गया है, क्योंकि न तो इन पर करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की गई और न ही इनके मुल्यांकन से सम्बन्धित कोई प्रविष्ट उक्त मस्टर रोल्स पर दर्ज थी, जिसकी अनुपस्थिति में उक्त मस्टर-रोल्स **द्वारा** किये गये भुगतान सही थे अथवा नहीं, तथा भुगतान से पूर्व सक्षम प्राधिकारी **द्वारा** इनका आकलन व मुल्यांकन कर लिया गया था इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी | अतः उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त मस्टर-रोल्स पर करवाए गए कार्यो का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से मुल्यांकन करवाया जाए, तथा भुगतान की गई राशि यदि मुल्यांकन से अधिक पाई जाती है तो उसे उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित कोष में जमा किया जाए तथा भविष्य में मस्टर-रोल्स बिल्स की अदायगी से पूर्व उन्हें सक्षम तकनीकी प्राधिकारी **द्वारा** सत्यापित/मूल्यांकित करने तथा सतर्कतता समितियों **द्वारा** कार्य के सही एव पूर्ण होने बारे सत्यापित करने के उपरान्त ही उनकी राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए| उपरोक्त का विस्तृत ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है;

दिनांक	कार्य का नाम	मस्टर-रोल्स नं	राशि	रोकड़ पृष्ट

प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना

27.01.15	निर्माण पक्की गली चाकला	21126	50480/-	2
27.01.15	निर्माण पक्का रास्ता भड़ूत	21129	14078/-	3
28.10.15	निर्माण पक्का रास्ता काहन	21140	30360/-	15
28.10.15	निर्माण पक्का रास्ता भड़ूत	21139	18420/-	15
	कुल राशि		**113338/-**	

14 बिना बिल/वाउचर के ₹1.08 लाख का आहरण/आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह में किये गए व्यय भुगतान का रोकड़ बही में बिल/वाउचर के साथ मिलान करने पर पाया गया की निम्नतालिकानुसार **₹1,08,420** का आहरण/भुगतान खर्चे से सम्बन्धित बिल वाउचर के बिना ही किया गया है क्योंकि उक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख **(बिल/रसीद)** अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में दर्शाया गया भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए| भुगतान वास्तविक/उचित न पाए जाने की स्थिति में आहरित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए|

PMAGY

दिनांक	**चेक नं**	**विवरण**	**राशि**	**CBP**
27.01.15	080819	निर्माण पक्की गली चकला	13500/-	2
27.01.15	080820	निर्माण पक्का रास्ता भड़ूत	4500/-	2
27.01.15	080821	----------do-----------	12000/-	2
05.10.15	151725	नि. सा. भावन भड़ूत चाकला	28320/-	11
05.10.15	151726	----------do-----------	5820/-	11
06.10.15	151728	निर्माण पक्का रास्ता, मोहर	15180/-	12
13.10.15	151734	नि. पक्की गली चाकला-2	1500/-	13
13.10.15	151734	निर्माण पक्का रास्ता भड़ूत	3000/-	13
29.10.15	151742	नि. पक्की गली पजे की ढाल	24600/-	15
		कुल भुगतान	**108420**	

15 सावधि जमा में राशि का निवेश न करना:-

सामान्य निधि के बचत बैंक खाता **संख्या 56010105010** के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त बचत बैंक खाते में अवधि 06/2014 से 03/2017 के दौरान निम्नतालिकानुसार औसतन 8 से 19 लाख तक की शेष राशि थी| जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्,

बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग अगले 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को पंचायत में इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश कर पंचायत के लिए ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन किया जा सकता है | इस प्रकार निधि को सुविनियोजित ढंग से प्रयोग/निवेश न करने के कारण निधि को ब्याज के रूप में निरंतर नुकसान हो रहा है। यदि बैंक में जमा राशि को पंचायत कि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राशि को **अल्प अवधि की सावधि जमा योजना (STDR)** में निवेश किया जाता तो उक्त निधि को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन हो सकता था।

सामान्य निधि खाता संख्या 56010105010

अवधि	**बचत बैंक खाते में जमा पड़ी औसतन राशि (₹)**
06/2014 से 10/2014	8,00,000/-
11/2014 से 03/2015	11,00,000/-
04/2106 से 12/2015	12,00,000/-
01/2016 से 03/2016	11,00,000/-
04/2016 से 08/2016	19,00,000/-
09/2016 से 03/2107	8,00,000/-

अत: पंचायत सचिव को इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये जायें ताकि भविष्य में पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन हो सके|

16 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव **द्वारा** फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत **द्वारा** किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

17 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये|

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी |
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर |
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर |
5. अग्रिमों का रजिस्टर |
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर |

7. प्राक्कलन,तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर |
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर|
9. स्टेशनरी रजिस्टर|
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर|
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर|
12. इन्वेंटरी रजिस्टर|

18 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक **6 माह** बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्तिथि स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये |

19 लघु आपत्ति विवरणिका :-

i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम,2002 के नियम 49(1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक की ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव **द्वारा** शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त: हस्ताक्षरित न किया गया हो | अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव **द्वारा** संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

ii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा **द्वारा** उस व्यय को पारित किये जाने से सम्बंधित प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत **द्वारा** भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए |

20 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है |

हस्ता / –
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)18 / 2018 खण्ड–1 दिनांक 23.02.2018 शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत नारग विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881